अपील सूचना का अधिकार संख्या 22/2021 (GCMS 2021/43)(आईटीआई पोर्टल नं. 212922924213551) कृष्णलाल पुत्र रतिराम, गांव चक 1 पीपी, डाकखाना घमूड़वाली, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) बनाम [illegible] तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर

27.09.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी कृष्णलाल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी कृष्णलाल ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 30.01.2021 से नायब तहसीलदार, बींझबायला से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक बिन्दु की सूचना हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था किन्तु नायब तहसीलदार, बींझबायला ने उसे निश्चित समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनिमय 2005 के तहत नायब तहसीलदार (राजस्व), बींझबायला से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र के द्वारा नायब तहसीलदार (राजस्व), बींझबायला से निम्न सूचना चाही थी:

> आपने अपने फैसले नं. 76 दिनांक 19.01.2021 (नकल नथी) में लिखा है। आपने मेरे से मेरी पाइपें लगी की स्वीकृति मांगी थी और आपके उक्त फैसला लिखित अनुसार मैनें आप को स्वीकृति नहीं दी। मुझे याद नहीं आ रहा कि आपने मेरे से कब ऐसी स्वीकृति मांगी थी। आप के ऐसी स्वीकृति के लिए मुझे जारी किए आपके पत्र की प्रतिलिपि भेजें।
>
> प्रार्थना है मेरी मांगी गई सू[illegible]र 1 आर.टी.आई. एक्ट 2005 के अधीन रजिस्टर्ड [illegible] कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उप तहसीलदार, बींझबायला ने अपने पत्रांक राजस्व/2021/140 दिनांक 16.04.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि प्रार्थी कृष्णलाल पुत्र रतीराम निवासी 1 पीपी, पो.ओ. घमूड़वाली तहसील पदमपुर द्वारा दिनांक 30.01.2021 को सूचना के अधिकार में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चाहा गया कि "आपने अपने फैंसले नम्बर 76 दिनांक 19.01.2021 में लिखा है आपने मेरे से पाईपें लगी की स्वीकृति मांगी थी और आपके उक्त फैंसला लिखित अनुसार मैनें आपको स्वीकृति नही दी। मुझे याद नहीं आ रहा कि आपने मेरे से कब ऐसी स्वीकृति मांगी थी। आपके ऐसी स्वीकृति के लिए मुझे जारी किये गये पत्र की प्रतिलिपि भेजें।

प्रार्थी के इस प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक राजस्व/2021/334 दिनांक 26.02.2021 द्वारा प्रार्थी को सूचित किया गया कि आप द्वारा चाही गयी सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी के सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जवाब समय पर भिजवाया जा चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की मेहरबानी करें

संलग्न :

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.01.2021 की चित्रप्रति।
2. इस कार्यालय द्वारा भेजे गये जवाब का पत्र प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:17 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
उपतहसीलदार
बींझबायला

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उप तहसीलदार (राजस्व), बींझबायला ने अपने पत्रांक राजस्व/2021/334 दिनांक 26.02.2022 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा चाही गयी सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
>
> -sd-
> उपतहसीलदार
> बींझबायला

चूंकि **उप तहसीलदार, बींझबायला द्वारा** अपीलार्थी को अपने उक्त पत्र दिनांक 26.02.2022 से उक्तानुसार जवाब दिया जा चुका है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है, जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित [illegible] जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान [illegible] के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इसलिए उप तहसीलदार, बींझबायला द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया गया है, वह सही है उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए उप तहसीलादार, बींझबायला को निर्देशित किया जाता है वे अपीलार्थी को उसके पत्र से सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन करवा देवें और अपीलार्थी यदि उसमें से कोई सूचना चाहे, तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है आदेश की प्रति उप तहसीलदार (राजस्व), बींझबायला को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:17 IST
Reason: SelfAttested